राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2847 –एक/2015 जिला– अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा यह अपील कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/ए–21/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.08.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत् पेश की गयी है। 2– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि जोकि ग्राम टकनेरी तहसील व जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे नं. 25 रकवा 1.588 है0, है। जिसको अनुबंधकर्ता अरूण कुमार गुप्ता को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। और आदेश दिनांक 19.08.2015 से प्रकरण प्रांरभिक सुनवाई हेतु नियत किया है। इसके पश्चात् अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 19.08.2015 विधि सम्मत् नहीं है, इसलिये उनका आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। 3– जहॉ तक प्रकरण के गुण दोषो का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी के भूमि स्वामी	

स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, उक्त भूमि असिंचित होकर एक फसलीय है, जिसमें पानी की कमी है जिसके चलते वर्तमान में खेती करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों एवं परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिये उक्त भूमि विक्रय पर नगर पालिका क्षेत्र अशोकनगर में पूर्व वार्ड क्रमांक 22 नया वार्ड 1 में 25×40 का प्लॉट 5 लाख रूपयें में क्रय करने का अनुबंध किया है ताकि अशोकनगर रहकर पुत्र पुत्रियों की यथोचित शिक्षा दीक्षा उच्च स्तर की प्राप्त कर सके। अनुबंध के अधीन 50 हजार रूपयें बतौर एडंवास अनुबंधकर्ता को दिया गया है। अनुबंध पत्र के अनुसार विक्रय की जाने वाली भूमि का प्रतिफल पर्याप्त प्राप्त हो रहा है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये यह पाया जाता है की अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने से उसके साथ कोई छल–कपट पूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है। अपीलार्थी द्वारा भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से सहरिया जाति के व्यक्ति से क्रय की है और अपीलार्थी भी सहरिया जाति का है। इसलिये म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) क्रेता और विक्रेता दोनो आदिवासी जाति के सदस्य – अवरोध आकृर्षित नहीं जब विक्रय का व्यवहार आदिवासी जातियों के सदस्यों के बीच हो तब धारा 165 (6) में उपबंधित अवरोध लागू नहीं होगा यह निष्कर्ष उच्च न्यायालय 1977 आर.एन. 366 में अवधारित किया है। इसलिये विक्रय की अनुमति दिये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में उसके आर्थिक हितो का हनन नहीं होगा। दर्शित परिस्थतियों में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को ग्राम टकनेरी तहसील व जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे नं. 25 रकवा 1.588 है0 को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

निग/2847/I/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

रघुनंदन पुत्र श्री देवचन्द्र सहरिया रावत निवासी–टकनेरी तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
2– केसरी पुत्र श्री गिरधारी रावत
3– कटोरी बाई पुत्री श्री गिरधारी रावत
4– लक्ष्मी बाई पुत्री श्री गिरधारी रावत

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/ए–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि ग्राम टकनेरी तहसील व जिला अशोकनगर मे स्थित भूमि सर्वे नं. 25 रकवा 1.588 है0 आवेदक की स्वंय की निजी कृषि भूमि है। जोकि असिचिंत होकर एक फसलीय है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विक्रय कर वह नगर पालिका क्षेत्र अशोकनगर में एक प्लॉट 5,00,000/– रूपये में क्रय करने का अनुबंध किया है। ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जायें।
3. यहकि, कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा अपीलार्थी की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जबकि अपीलार्थी भूमि विक्रय कर नगर पालिका क्षेत्र अशोकनगर में प्लॉट क्रय कर पक्का मकान बनाकर निवास करना चाहता है। ताकि उसके पुत्र एवं पुत्रियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके ऐसी स्थिति मे विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी।
4. यहकि, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 4 के भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि को अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत भूमि से क्रय किया है। तो क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी जाति के व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में उन्हे विक्रय की अनुमति लिये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी सावधानी के तौर पर विक्रय